राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,बीकानेर

राजस्थान पशुचिकित्सा एवम् पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के संघटक एवं अन्य संबद्ध संस्थानों में

द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

आवेदन फार्म (सत्र 2011–12)

आवेदन शुल्क रू. 600/–या 300/– डिमांड ड्राफ्ट नं..... जारी होने की तिथि.....
तथा जारी करने वाले बैंक एवं शाखा का नाम .....
एवम् भुगतान करने वाले बैंक एवं शाखा का नाम .....

नोट :– आवेदन भरने से पूर्व सभी निर्देशों को आवेदन निर्देशिका में ध्यान पूर्वक पढ़ लेवें। यह फार्म 4 पृष्ठों का है। दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियां एवं डिमांड ड्राफ्ट भरे हुए आवेदन के साथ लगावें। भरे हुए फार्म स्वीकार करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2011 सांय 5 बजे तक है। तत्पश्चात् आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट "परीक्षा नियंत्रक, पशुचिकित्सा एवम् पशु विज्ञान विश्वविद्यालय" के पक्ष में "बीकानेर" पर देय होने चाहिऐ। आवेदन फार्म के लिफाफे के ऊपर "द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु आवेदन" अवश्य लिखें।

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) .....

   Applicant's Name (CAPITAL Letters) (अंग्रेजी में).....

2. पिता का नाम (हिन्दी में).....

   Father's Name (CAPITAL Letters) (अंग्रेजी में).....

3. माता का नाम (हिन्दी में).....

   Mother's Name (CAPITAL Letters) (अंग्रेजी में).....

4. संरक्षक का नाम (अगर पिता जीवित न हो तो)..... उससे संबंध.....

5. लिंग..... 6. जन्म तिथि.....

7. 31 दिसम्बर, 2011 को आयु : वर्ष.....माह.....दिन.....

8. आवेदक की श्रेणी (सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जन जाति)

श्रेणी लिखें

9. उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का माह एवं वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
सैकण्डरी या समकक्ष परीक्षा						
सीनियर सैकण्डरी/10+2 या समकक्ष परीक्षा			1. ऐच्छिक विषयों का योग			.....
			2. अनिवार्य विषयों का योग			.....
			योग (1+2)			

सीनियर सैकण्डरी/10+2/या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण किये ऐच्छिक विषयों के नाम नीचे दिए प्रकोष्ठ में लिखें

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

योग्यता प्रमाणपत्र पूरे है – हां/ नहीं

जांचकर्ता के हस्ताक्षर

10. पत्र व्यवहार हेतु केवल पूर्ण पता साफ अक्षरों में लिखें। आवेदक का नाम एवं पिता का नाम दुबारा नही लखें।

हिन्दी में	अंग्रेजी में
पिन कोडः	**Pin Code :**
टेलीफोन एवं एस.टी..डी. कोड नं/मोबाईल नंबर–	

11. अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश लेने हेतु उनके आगे तद्नुसार पसंद (Preference) वरीयता को अंकित करें। (आवेदन फार्म में संस्थान के पसंद वरीयता अपनी पंसद के अनुसार भरने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। संस्थान की सूची व पूर्ण पते आवेदन निर्देशिका में अनुच्छेद 1 में दी हुई है तथा वेब साइट पर भी उपलब्ध हैं। संस्थान कोड संख्या को पंसद वरीयता कालम में नही लिखे केवल पसंद वरीयता लिखे।)

संस्थान का नाम,स्थान एवंम कोड	पसंद वरीयता	संस्थान	पसंद वरीयता
पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर (01)		सुरेन्द्र पशुपालन महाविद्यालय, सोडाला, जयपुर (27)	
चौ. चरणसिंह पशुपालन महाविद्यालय, अलवर (02)		संकल्प पशुचिकित्सा एवं पशुपालन संस्थान, झालावाड़ा (28)	
दीन बंधु शिक्षण संस्थान, खेरलीगंज, अलवर (03)		आर.ई.डी. पशुपालन महाविद्यालय, चिड़ावा, झुंझनूं (29)	
सती जाबदे पशु चिकित्सा सहायक प्रशिक्षण संस्थान, नीमराना, अलवर (04)		आदर्श पिलानी पशुपालन महाविद्यालय, पिलानी, झूंझनूं (30)	
सर छोटूराम पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, भरतपुर (05)		राजकीय पशुपालन विद्यालय, जोधपुर (31)	
श्री संत रामदास त्यागी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, डीग, भरतपुर (06)		पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर (32)	
श्री अभय पशुपालन महाविद्यालय, बीकानेर (07)		मयूराक्षी शिक्षा और विकास संस्थान, जोधपुर (33)	
श्रीकृष्ण पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर (08)		श्री एस.एल. जांगू पशुचिकित्सा विज्ञान संस्थान, जोधपुर (34)	
मां करणी पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, नाल, बीकानेर (09)		श्री लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर (35)	
चौधरी पशुपालन महाविद्यालय, सादुलपुर, चूरू (10)		वीणा मेमोरियल पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय, करौली (36)	
स्वामी लालतानंद पशुपालन विद्यालय, दौसा (11)		राजीव गांधी पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, हिंडौन सिटी, करौली (37)	
चमन पशुपालन महाविद्यालय, बांदीकुई, दौसा (12)		राजकीय पशुपालन विद्यालय, कोटा (38)	
एम.बी. वागड़ पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर (13)		एम.डी.एम. पशुपालन महाविद्यालय, कोटा (39)	
स्वामी शिक्षा समिति पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, हनुमानगढ़ टाउन (14)		पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, बारां, कोटा (40)	
सरदार बल्लभ भाई पटेल पशुपालन महाविद्यालय, भादरा, हनुमानगढ़ (15)		सर्वोदय पशुपालन विद्यालय, बूंदी,, कोटा (41)	
एपेक्स प्रबंध एवं विज्ञान संस्थान (पशुपालन विभाग), जयपुर (16)		पशुपालन महाविद्यालय, (मनोहर बाल मंदिर समिति), श्रीगंगानगर (42)	
बी.बी.एम.एस पशुपालन महाविद्यालय, जयपुर (17)		श्रीगंगानगर पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान, श्रीगंगानगर (43)	
लिबर्टी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर (18)		एलियन्स शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , सीकर (44)	
राजीव गांधी मेमोरियल पशुपालन महाविद्यालय, जयपुर (19)		राजस्थान पशुपालन महाविद्यालय, सीकर (45)	
शिवम् पशुपालन महाविद्यालय, जोबनेर, जयपुर (20)		देव पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टौंक (46)	
सुभाष पशुपालन महाविद्यालय, जयपुर (21)		राजकीय पशुपालन विद्यालय, उदयपुर (47)	
राजकीय प्शुपालन विद्यालय, बस्सी चक, जयपुर (22)		पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानीया, वल्लभनगर, उदयपुर (48)	
एम.जे.एफ पशुविज्ञान संस्थान, चौमू, जयपुर (23)		पशुधन स्वास्थ्य एवम् उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर (49)	
श्री विनायक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान , कनोता, जयपुर (24)		पशुधन अनुसंधान केन्द्र, राजूवास, नोहर, जिला हनुमानगढ (50)	
चौधरी चरण सिंह पशुपालन महाविद्यालय, शाहपुरा, जयपुर (25)		पशुधन अनुसंधान केन्द्र, राजूवास, चान्दन, जिला जैसलमेर (51)	
महात्मा ज्योति राव फुले शिक्षण संस्थान एवं, पशुधन सहायक प्रशिक्षण, सोडाला, जयपुर (26)		नोटः अपनी पसंद के अनुसार संबंधित संस्थान के आगे 1 से 51 तक पसंद वरीयता भरें	

आवेदक का नाम.....आवेदक के हस्ताक्षर .....

12. निम्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि सलंग्न करें। :–

क्रम सं.	सलंग्न दस्तावेज	'हां' या 'नहीं'
1.	सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका	
2.	सैकण्डरी परीक्षा का प्रमाण पत्र	
3.	सीनियर सैकण्डरी/10+2 या समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका	
4.	सीनियर सैकण्डरी/10+2 या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र	
5.	मूल निवासी प्रमाण पत्र	
6.	उस महाविद्यालय/विद्यालय का चरित्र प्रमाण पत्र जहां अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो	
7.	अन्य पिछड़ा वर्ग /विशेष पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य का प्रमाण पत्र	
8.	अन्य कोई प्रमाण पत्र	

13. मैंने घोषणा पत्र जो इस प्रवेश आवेदन फार्म का हिस्सा है भर कर सलंग्न कर दिया है।

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर	
पिता/संरक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर	
दिनांक	

नीचे प्रकोष्ठ में आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
हस्ताक्षर

1. अपना हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट साईज फोटो जिसमें आवेदक की नाम पट्टिका पर फोटों खिचवाने की तिथि भी अंकित हो वही फोटो लगावें। 2. फोटो को किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, विद्यालय के प्राचार्य से सत्यापित करावें।	पासपोर्ट साईज फोटो चिपकावें।

महत्वपूर्ण सूचना: 1. किसी भी आवेदन फार्म के अधूरा पाये जाने अथवा/एवम अधूरे दस्तावेज (सत्यापित फोटो कॉपी) सलंग्न करने पर आवेदन फार्म बिना सूचना दिये निरस्त कर दिया जावेगा।

2. पूर्ण भरा हुआ आवेदन फार्म (पृष्ठ सं. 1 से 4) को A4 साईज के बड़े लिफाफे में डालकर परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, विजय भवन पैलेस, गंगा ऐवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर– 334001, (राज.) को रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना है। आवेदन फार्म के लिफाफे के ऊपर "द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु आवेदन" अवश्य लिखें। आवेदन फार्म परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में भी जमा करवाया जा सकता है। अन्य कोई भी संस्थान अथवा व्यक्ति भरे हुए आवेदन फार्म लेने के लिए अधिकृत नही है।

आवेदक का नाम.....आवेदक के हस्ताक्षर .....

घोषणा–पत्र

1. आवेदक द्वारा घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूं कि

1. मैंनें आवेदन निर्देशिका में लिखित सभी नियमों एवं जानकारियों को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है। अगर पशुपालन डिप्लोमा पाठयक्रम में प्रवेश योग्य नहीं पाया जाती/जाता हूं या प्रवेश से वंचित रहती/रहता हूं तो में किसी प्रकार का वाद/दावा किसी भी न्यायालय में नहीं करूंगी/करूंगा।
2. आवेदन फार्म मैंनें स्वयं भरा है एवं इसमें दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है। मैं यह स्वीकार करती/करता हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई असत्यता पाई जाती हैं तो मैं अपने विरूद्ध किसी भी समय कानूनी कार्यवाही के लिए बाध्य रहूंगी/रहूंगा तथा मेरा प्रवेश पूरे कोर्स के दौरान कभी भी एवं पश्चात भी निरस्त किया जा सकेगा।
3. मैं संस्थान/कॉलेज/हॉस्टल और अन्य प्रकार की सभी फीस समय पर जमा करवाऊंगी/करवाऊंगा। किसी भी निर्धारित फीस को समय पर जमा नहीं करवाती/करवाता हूं तो मेरा प्रवेश रद्ध कर दिया जा सकेगा।
4. अगर मेरा प्रवेश हो जाता है तो मैं कॉलेज/संस्थान प्रशासन द्वारा जारी नियमों एवं शर्तों का पूर्णतया पालन करूंगी/करूंगा।
5. मैं विद्यार्थी होने के नाते विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी भी आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगी/करूंगा, न ही उनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करूंगी/करूंगा जिससे कॉलेज का नाम खराब हो।
6. मैं यह जानती /जानता हूं कि अगर मेरे द्वारा आवेदन फार्म को अधूरा भरने अथवा आवेदन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं दिये गये तो मेरा आवेदन फॉर्म बिना किसी सूचना के रद्ध कर दिया जायेगा।
7. मैं यह भी समझती /समझता हूं कि आवेदन फार्म में मेरे द्वारा चयनित संस्थान की पसंद को संकाय अध्यक्ष द्वारा बदला भी जा सकता है, और जो कॉलेज/संस्थान मुझे मिलेगा मैं उसमें प्रवेश लूंगी/लूंगा, चाहे वह मेरे द्वारा चयनित क्रमबद्धता से भिन्न ही क्यों न हो।
8. मैं यह भी घोषणा करती/करता हूं कि :–
   - अ. मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हैं, न ही किसी अपराधिक मामले से मेरा सबंध है
   - ब. मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध किसी भी कोर्ट में बकाया नहीं है।
   - स. किसी विद्यालय या महाविद्यालय प्राचार्य के द्वारा मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है।
   - द. द्विवर्षीय पशुपालन पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान किसी अन्य विश्वविद्यालय में कोई अन्य पाठयक्रम में प्रवेश नहीं लूंगी/लूंगा। यदि ऐसा पाया जाता है। तो मेरा प्रवेश इस पाठयक्रम से निरस्त कर दिया जावे।

स्थानः– दिनांक आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

2. छात्र के पिता/संरक्षक(यदि पिता जीवित न हो तो) द्वारा घोषणा

अभिभावक के रूप में मैंने आवेदन निर्देशिका में लिखित सभी नियमों को सावधानीपूर्वक पढ़ व समझ लिया है। मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करती/करता हूं कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतया सही है इसमें किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। आवेदन फार्म में दी गई जानकारी में किसी प्रकार की असत्यता प्रवेश के समय या भविष्य में पाई जाती है तो विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान को यह पूर्ण अधिकार है कि वह आवेदक को उसी समय /सत्र के मध्य में भी निष्कासित कर सकता है।

मैं यह भी घोषणा करती/करता हूं कि मैं मेरे पुत्र/पुत्री/(नाम.....) की महाविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित आवश्यक शुल्क व अन्य देय राशि निश्चित समय पर जमा करवाऐ जायेगे।

स्थान : आवेदक के पिता/संरक्षक (यदि पिता जीवित न हो तो) के हस्ताक्षर

दिनांक :

आवेदक का नाम : .....आवेदक के हस्ताक्षर :– .....

निर्देश पुस्तिका (पृष्ठ सं. 5 से 13) भरे हुए आवेदन फार्म के साथ नहीं भेजने है।

प्रवेश निर्देश पुस्तिका

द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश वर्ष 2011–12

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1. द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम वर्ष 2011–12 में प्रवेश लेने हेतु आवेदन फार्म एवं निर्देश पुस्तिका को वेबसाईट www.bikanervetcolahdp.org से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन फार्म पृष्ठ सं.1 से 4 तक एवं निर्देश पुस्तिका पृष्ठ सं. 5 से 13 तक है।
2. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन फार्म (पृष्ठ सं. 1 से 4) को A4 साईज के बड़े लिफाफे में डालकर **परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, विजय भवन पैलेस, गंगा ऐवेन्यु, दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर (राज.) पिन कोड–334001** को **रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट** द्वारा भेजा जा सकता है। आवेदन फार्म के लिफाफे के ऊपर **'द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठयक्रम हेतु आवेदन'** अवश्य लिखें। आवेदन फार्म महाविद्यालय के काउंटर पर भी जमा कराया जा सकता है। अन्य कोई संस्थान अथवा व्यक्ति भरे हुए आवेदन फार्म लेने के लिए अधिकृत नहीं है।
3. **निर्देश पुस्तिका (पृष्ठ सं. 5 से 13) आवेदन फार्म के साथ सलंग्न नहीं करें। आवेदक इसे अपने पास रखें।**
4. **पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2011 को सांय 5 बजे तक है। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन फार्म किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
5. आवेदन फार्म के साथ निम्न आवश्यक रूप से सलंग्न करें :–

   a. आवेदन फार्म के साथ सामान्य श्रेणी एवं अन्य तथा विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक रू. **600/– (छः सौ रूपए मात्र)** तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक रू. **300/– (तीन सौ रूपए मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट जो कि **"परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवम् पशु विज्ञान विश्वविद्यालय " (COE, RAJUVAS)** के पक्ष में **"बीकानेर"(Bikaner)** पर देय हो सलंग्न करें।

   b. पूर्ण आवेदन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतिलिपियां अवश्य सलंग्न करना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।
6. भरे हुए आवेदन फार्म एवं डिमांड ड्राफ्ट की एक फोटो प्रति आवेदक अपने पास अवश्य रखें।
7. सभी प्रकार की जानकारी जो की वेबसाईट पर उपलब्ध है वही मान्य होगी। वेबसाईट पर दर्शाई गई सूचना अभ्यर्थी के पास पहुंची हुई मानी जाएगी। यद्यपि विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना, समाचार पत्र या व्यक्तिगत पत्रों के माध्यम से आवेदकों तक भेजी जाएगी। लेकिन किसी भी पत्र प्राप्ति या सूचना में देरी होने के कारण अभ्यर्थी के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण दिनांक या चरण से वंचित रहने पर विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा व इस सम्बंध में किसी भी प्रार्थना पत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे सभी प्रकार की नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से समाचार पत्र एवं उपरोक्त वेबसाईट देखते रहे ।
8. आवेदन फार्म में दिये गये पत्राचार के पते पर ही विश्वविद्यालय द्वारा सूचना भेजी जायेगी। अभ्यार्थी के अधूरे/अस्पष्ट पते होने के कारण यदि पत्र नहीं प्राप्त होता है अथवा वापिस विश्वविद्यालय को को लौट आता है तो इसे दुबारा भेजने का अथवा सूचना देने का प्रयास नहीं किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी अभ्यार्थी की होगी। अतः पत्राचार के पते को स्पष्ट लिखे इसमें नाम व पिता का नाम नहीं लिखे।

कार्यक्रम की सामान्य जानकारी

यह आवेदन फार्म राजस्थान पशुचिकित्सा एवम् पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पशुपालन में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर, नवानीया, (उदयपुर), पशुधन स्वास्थ्य एवम् उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर, पशुधन अनुसंधान केन्द्र नोहर तथा चांदन एवम् पशुपालन विभाग राजस्थान के संस्थान, जयपुर (बस्सी चक), जोधपुर, कोटा और उदयपुर की सौ प्रतिशत सीटों तथा अन्य सबंद्ध निजी संस्थानों की 85 प्रतिशत सीटों के लिए है।

1. **पशुपालन में डिप्लोमा कार्यक्रम के उद्देश्य :–**

इस डिप्लोमा कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता के द्वारा किसी पंजीकृत पशु चिकित्सक की देखरेख में लघु पशु चिकित्सा सेवाएं देने के योग्य बनाएगा जिसका प्रावधान भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 30 (बी) तथा उसकी व्याख्या के अनुसार है।

2. **पाठ्यक्रम की अवधि :–** इस पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष (शैक्षणिक वर्ष) की होगी जिसमें 4 सेमेस्टर होंगे।

3. **अध्ययन का माध्यमः–** यह पाठ्यक्रम हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा। इसका निर्णय संस्थान द्वारा किया जा सकेगा। पशुचिकित्सा एवम् पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर में प्रशिक्षण का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा। वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध करवाऐ जाऐंगे तथा छात्र किसी भी एक भाषा में प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा।

4. **सीटों की संख्या :–**

(a) प्रत्येक संस्थान में 50 सीटों की व्यवस्था है व वर्तमान में कुल 51 संस्थान प्रवेश हेतु उपलब्ध है। फिर भी विश्वविद्यालय संस्थानों व उपलब्ध सीटों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है, जिसकी सूचना वेबसाईट पर दी जावेगी।

(b) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर, नवानीया (उदयपुर) तथा पशुधन स्वास्थ्य एवम् उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर, पशुधन अनुसंधान केन्द्र, नोहर तथा चांदन व राज्य सरकार संस्थानों (कोड 22, 31, 38, 47) के 100 प्रतिशत स्थान व अन्य निजी संस्थानों के 85 प्रतिशत स्थान **"राज्य स्थान (state seats)"** होंगे जिनमें प्रवेश वरीयता सूची व आरक्षण नियमों के आधार पर होगा।

(c) निजी संस्थानों में कुल अनुमोदित सीटों का 15 प्रतिशत (विश्वविद्यालय के द्वारा निर्देशित सीटों की निकटतम पूर्ण संख्या) प्रबंधन सीटें है। जिनमें प्रवेश सबंधित संस्थान के द्वारा उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो सभी निर्देशित शैक्षिक अर्हताएं, योग्यताएं व अन्य आवश्यकताएं पूर्ण करते हों। यद्यपि उन अभ्यर्थियों को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

5. **प्रवेश हेतु आवश्यक योग्यताएं :–**

a. आवेदक का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/सीबीएसई/समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक (10+2) परीक्षा भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान या कृषि संकाय में जीव विज्ञान ऐच्छिक विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रवेश इसी योग्यता के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर होगा।

b. वे अभ्यर्थी जिन्होने पुरानी पद्धति के द्वारा हायर सैकण्डरी या नई पद्धति के द्वारा सीनियर सैकेण्डरी उपरोक्त वर्णित विषयों में खुला विद्यालय या बोर्ड जो कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो, भी आवेदन के लिए योग्य होंगे।

c. किसी भी योग्यता की समकक्षता का निर्धारण विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। जो कि बाध्य एवं अंतिम होगा। प्रवेश के पश्चात किसी भी समय एवं चालू सत्र की अवधि में भी यह पता चलने पर कि वे निर्धारित योग्यता धारित नहीं करते हैं तथा उन अभ्यर्थियों को जो शैक्षिक, उम्र, मूल निवास आदि न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं करते हो उन्हें कोर्स से निष्कासित कर उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

d. राज्य स्थानो के लिए राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थी (मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो मान्य होगा) व न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं धारको को वरीयता सूची व आरक्षण नियमों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

e. वरीयता सूची निर्धारण के समय जिन अभ्यर्थियों ने पूरक परीक्षा से आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त की हो तो पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों के न्यूनतम उत्तीर्णांक ही जोड़े जाएंगे।

f .अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 31 दिसम्बर 2011 को 17 वर्ष व अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है।

g. अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों व सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है।

h. प्रवेश बंद होने के पश्चात व प्रशिक्षण की अवधि के किसी भी सत्र में अभ्यर्थियों को संस्थान परिवर्तन की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी चाहे किसी संस्थान में स्थान रिक्त ही क्यों नहीं हो।

6. **आरक्षणः–** विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण की व्यवस्था वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी व विश्वविद्यालय द्वारा लागू आरक्षण नीति के तहत की जाएगी।

7. **वरीयता सूची में समान प्राप्तांक (टाई) की स्थिति में वरीयता निर्धारण के नियम (टाई ब्रेक):–** यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के योग्यता परीक्षा में समान प्राप्तांक होते है तो निम्न आधार पर वरीयता निर्धारित (टाई ब्रेक) की जाएगी।

A. उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसने माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में ज्यादा प्राप्तांक अर्जित किए हो।

B. यदि माध्यमिक परीक्षा में भी बराबर प्राप्तांक है तो अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

C. माध्यमिक परीक्षा में समान प्राप्तांक एवंम समान आयु होने की स्थिती में नाम की वर्णमाला(अंग्रेजी) के आधार पर वरीयता A से Z के क्रम में निर्धारित की जायेगी।

8. **शुल्क संरचना :–**

a. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रकार के निर्धारित शुल्क नियमित रूप से संस्थान में जमा/अदा करना होगा।

b. अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि केवल व्यवसायिक फीस (प्रोफेशनल फीस) सभी संस्थानों के लिए समान है। दूसरे शुल्क विभिन्न संस्थानों में भिन्न हो सकते है। यह सबंधित संस्थान के निर्णय पर आधारित होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा।

c. पाठयक्रम का व्यवसायिक शुल्क 28500/– रू. (रू. अठाईस हजार पांच सौ मात्र) प्रतिवर्ष है जो कि 3 किस्तों में देय होगा। जो निम्न प्रकार से है :–

अ. प्रथम किस्त 9500/– रू., जो कि प्रवेश के समय देय होगी।

ब. द्वितीय किस्त 9500/– रू., जो द्वितीय सेमेस्टर के पंजीकरण के समय देय होगी।

स. तृतीय किस्त 9500/– रू., वार्षिक परीक्षा आवेदन फार्म भरने के समय देय होगी।

d. **बस्सी चक, जोधुपर, कोटा एवं उदयपुर स्थित** पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित संस्थानों (संस्थान कोड संख्या 22, 31, 38, 47) में व्यवसायिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। यद्यपि इन संस्थानों को यह विनिश्चय करने का अधिकार होगा कि किसी भी समय नियमानुसार अन्य शुल्क ले सके।

e. जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर, नवानीया (उदयपुर), पशुधन अनुसंधान केन्द्र नोहर तथा चांदन एवम् पशुधन स्वास्थ्य एवम् उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर, में होता है उन्हें लगभग 16000/– रू. सामान्य अभ्यार्थी एवम् लगभग 6000/– रू. आरक्षित कैटगरी के अभ्यर्थीयों को प्रतिवर्ष अतिरिक्त

नियमित शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। यह उपरोक्त निर्धारित व्यवसायिक शुल्क के अतिरिक्त होगा तथा इसमें विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

f. सबंधित संस्थानों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को छात्रावास एवं मैस शुल्क उपरोक्त वर्णित व्यवसायिक शुल्क के अतिरिक्त जमा कराना होगा।

g. नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि जो कि विश्वविद्यालय को देय है अतिरिक्त होगा।

h. शुल्क जमा कराने में विफल रहने पर छात्र का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

i. धरोहर राशि (कौशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापिस देय नहीं होगा। केवल विश्वविद्यालय द्वारा रिशफलिंग में अभ्यर्थी के संस्थान परिवर्तन होने पर (प्रवेश प्रक्रिया बंद होने से पूर्व) सबंधित संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को सम्पूर्ण शुल्क व अन्य शुल्क वापिस देय होंगे।

j. अभ्यर्थी के वार्षिक परीक्षा में अनुर्त्तीण होने पर पर उस प्रशिक्षण वर्ष का व्यवसायिक शुल्क पुनः जमा करवाना पड़ेगा जिस प्रशिक्षण वर्ष में वह पुनः प्रवेश लेता है। यह अन्य नियमित शुल्कों के अतिरिक्त होगा।

9. **अस्थायी प्रवेशः–** यदि प्रवेश से सबंधित कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन होगा तो न्यायालय के अंतिम निर्णय तक प्रवेश अस्थायी रहेगा। प्रवेश की अस्थाई स्थिति को विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन के पश्चात ही हटाया जायेगा। अगर किसी भी कारण से अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है तो सत्र के बीच में कभी भी प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

10. **नियमों में परिवर्तनः–** विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी नियम या शुल्क संरचना में किसी भी समय कोई परिवर्तन या सुधार कर सके। अभ्यर्थी व छात्र इस प्रकार के परिवर्तन को मानने को बाध्य होंगे।

11. **रैगिंग पूर्णतया प्रतिबंधित हैः–**

a. किसी भी प्रकार की रैगिंग विश्वविद्यालय से सबंधित सभी संस्थानों में पूर्णतया प्रतिबंधित है व इस प्रकार के कृत्य में शामिल किसी भी व्यक्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार दंडित किया जायेगा।

b. रैगिंग से सबंधित सभी मामलों का निपटारा विश्वविद्यालय एवं यू.जी.सी. के नियमों व समय–समय पर मिलने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। रैगिंग सबंधि सभी मामलों को सख्ती से निपटा जाएगा। अभ्यार्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि रैगिंग एक गंभीर अपराध है व यह कृत्य करने पर एफ.आई.आर. दर्ज कर पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

c. सभी सबंधित संस्थान यह सुनिश्चित कर लेवें की रैगिंग को रोकने हेतु कोई कार्यवाही न करने पर उनकी संबद्धता विश्वविद्यालय द्वारा निरस्त कर दी जावेगी व उन संस्थानों तथा उनके संचालकों के खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

d. सस्थान में प्रवेश के समय छात्र एवम् उसके अभिभावक द्वारा रेगिग संबंधि शपथ पत्र देना होगा जिसका प्रारूप संस्थान द्वारा प्रवेश के समय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

न्यायालय क्षेत्र पशुपालन डिप्लोमा से सबंधित किसी भी प्रकार के वाद होने पर उसका वाद क्षेत्र राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के दायरे में होगा।

महत्वपूर्ण सूचनाः किसी भी आवेदन फार्म के अधूरा पाये जाने अथवा/एवम अधूरे दस्तावेज (सत्यापित फोटो कॉपी) सलंग्न करने पर आवेदन फार्म बिना सूचना दिये निरस्त कर दिया जावेगा।

आवेदन प्रक्रिया

1. आवेदन फार्म की उपलब्धता :–

a. यह आवेदन फार्म राजस्थान पशुचिकित्सा एवम् पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पशुपालन में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर, नवानीया, (उदयपुर), पशुधन स्वास्थ्य एवम् उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मानसरोवर, जयपुर, पशुधन अनुसंधान केन्द्र नोहर तथा चांदन एवम् पशुपालन विभाग राजस्थान के संस्थान, जयपुर (बस्सी चक), जोधपुर, कोटा और उदयपुर की सौ प्रतिशत सीटों तथा अन्य सबंद्ध निजी संस्थानों की 85 प्रतिशत सीटों के लिए है।

b. आवेदन फार्म व निर्देश पुस्तिका वेबसाईट **www.bikanervetcolahdp.org** पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय फोटो स्टेट काउंटर, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर पर फोटो कॉपी शुल्क अदा करने पर उपलब्ध है।

c. निर्देश पुस्तिका में सबंद्ध संस्थानों की सूची, संस्थान कोड व पते सलंग्नक 1 में उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवेदन फार्म के बिन्दु सं. 11 में सभी संस्थानों की 1 से लेकर 51 तक अपनी पसंदीदा वरीयता भर सकते हैं। इसे भरने में पूर्ण सावधानी रखे। एक बार वरीयता भरने पर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

d. कोई भी व्यक्ति या संस्था उपरोक्त आवेदन फार्म व निर्देश पुस्तिका को बेचने या वितरित करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसे कृत्य गैर कानूनी है। यदि अनाधिकृत व्यक्ति या संस्था आवेदन फार्म बेचती पाई जाती है तो, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को सूचित करें।

2. आवेदन फार्म भरने हेतु निर्देश :–

a. आवेदन फार्म के जिन भागों को अंग्रेजी में भरना निर्देशित है उन्हें अंग्रेजी में भरना अनिवार्य है। इन भागों को हिन्दी में भरने की स्थिति में सूचनाएं कम्पयूटरीकृत करने में अंग्रेजी वर्तनी अशुद्ध हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी।

b. आवेदन फार्म भरते समय काले या नीले रंग का बाल पेन प्रयोग करें।

c. अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते समय निर्देशित स्थान में केवल केपिटल लेटर्स का प्रयोग करें।

d. अभ्यर्थी आवेदन फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित बाक्स में अपना नाम व हस्ताक्षर आवश्यक रूप से अंकित करें।

e. अभ्यर्थी आवेदन फार्म एवं निर्देश पुस्तिका पर अंकित निर्देशानुसार ही आवेदन फार्म भरें। निर्देशानुसार नहीं भरने या अधूरे फार्म निरस्त किये जा सकेंगे।

3. आवेदन फार्म के साथ निम्न सलंग्न करें :–

a. आवेदन फार्म के साथ सामान्य श्रेणी एवं अन्य तथा विशेष पिछडा वर्ग के आवेदक **600/–(छः सौ रूपए मात्र)** तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक **300/–(तीन सौ रूपए मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट जो कि **"परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवम् पशु विज्ञान विश्वविद्यालय " (COE, RAJUVAS)** के पक्ष में **"बीकानेर"(Bikaner)** पर देय हो सलंग्न करें।

b. भरे हुए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतिलिपियां अवश्य सलंग्न करें।

c. भरे हुए आवेदन फार्म व डिमांड ड्राफ्ट की फोटो प्रतियां अभ्यर्थी अपने पास रिकार्ड हेतू अवश्य रखें।

d. किसी भी आवेदन फार्म के अधूरा पाये जाने अथवा/एवम अधूरे दस्तावेज (सत्यापित फोटो कॉपी) सलंग्न करने पर आवेदन फार्म बिना सूचना दिये निरस्त कर दिया जावेगा।

संस्थान आवंटन प्रक्रिया

a) अभ्यर्थियों के समय, अनावश्यक व्यय व असुविधा से बचने के लिए संस्थान प्रवेश/आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श (कांउसलिग) नहीं होगी।

b) संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फार्म में दी गई संस्थान पसंद वरीयता, मेरिट एवं आरक्षण नियमों के आधार पर कम्प्यूटर कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

c) आवेदन फार्म जमा करवाते समय अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लेवें की उनके द्वारा भरी गई संस्थान पसंद वरीयता (पृष्ठ सं. 2 कॉलम सं. 11) में आवेदन फार्म जमा करवाने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

d) अभ्यर्थी को ऐसे संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जहां के लिए उसने वरीयता नही भरी है। चाहे वहां पर स्थान रिक्त रह जाए।

e) योग्य अभ्यर्थियों की वरीयता सूची वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

f) अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थानों की सूची व प्रवेश की अंतिम दिनांक आवंटन प्रक्रिया के पूरे होने के पश्चात वेबसाईट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी।

g) संस्थान आवंटन व रिपोर्टिंग की अंतिम दिनांक की सूचना अभ्यर्थियों को डाक द्वारा भी दी जाएगी। यद्यपि डाक में विलम्ब होने या ना मिलने पर विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इसलिए अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।

h) अभ्यर्थी रिपोर्टिंग की अंतिम दिनांक तक मूल प्रमाण पत्रों व शुल्क के साथ संस्थान में प्रवेश ले लेवें। ऐसा नहीं करने पर यह माना जाएगा कि वह संस्थान में प्रवेश का इच्छुक नहीं है व उसका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

i) प्रवेश प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत छात्रों को संस्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी चाहे किसी संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा इच्छित उच्च वरीयता का स्थान रिक्त हो।

संस्थान में रिपोर्ट करने हेतु निर्देश

1. पशुपालन में डिप्लोमा कार्यक्रम में वरीयता व आरक्षण के आधार पर प्रवेश व संस्थान आवंटन की सूचना अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत पत्र/वेबसाइट द्वारा दी जाएगी। अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से मूल प्रमाण पत्रों व शुल्क के साथ आवंटित संस्थान को अंतिम दिनांक से पहले रिपोर्ट करें। मूल प्रमाण पत्रों की सूची :–

   a. माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका
   b. माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र
   c. उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका
   d. उच्च माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र
   e. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
   f. अंतिम विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र
   g. अंतिम विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.)
   h. बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration certificate)
   i. मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   j. आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी (एस.सी/एसटी/ओबीसी/एस बी सी) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से साथ लेकर आए।
   k. उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्रों के दो सेट सत्यापित प्रतिलिपियां लेकर आए।
   l. हाल ही में खिंचवाए गए पासपोर्ट साईज के 4 फोटो जिसमें अभ्यर्थी का नाम और फोटो खिचवाने की तारीख अंकित हो।
   m. नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए)
   n. सत्र 2011 से पूर्व 10+2 पास करने वाले अभ्यर्थी अपने साथ गेप प्रमाण पत्र साथ लेकर आवें।
   o. छात्र अन्य किसी कोर्स में अध्ययन नही कर रहा इस आश्य का शपथ पत्र (प्रारूप प्रवेश के समय संस्थान में उपलब्ध होगा)
   p. रेगिंग संबंधी शपथ पत्र छात्र एवम् अभिभावक द्वारा (प्रारूप प्रवेश के समय संस्थान में उपलब्ध होगा)
   q. अन्य कोई (संस्थान के द्वारा वर्णित)

2. अगर किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में अंतिम दिनाक से पूर्व नहीं पहुंच सकता है तो वह अपनी जगह कोई प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है। जिसके साथ में प्रतिनिधि अधिकार पत्र फोटो के साथ (अभ्यर्थी व प्रतिनिधि दोनों के फोटो) भेजना होगा जिस पर अभ्यर्थी व प्रतिनिधि की फोटो लगे होंगे। फोटो अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित व राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होगा। मूल प्रमाण पत्र व उपरोक्त प्रमाण जमा करवाने पर शुल्क जमा करवाया जा सकता है। प्रतिनिधि अधिकार पत्र का प्रारूप अनुच्छेद 2 में सलंग्न है।
3. अगर प्रवेश से संबंधित कोई वाद माननीय न्यायालय में लम्बित है तो प्रवेश को उस समय तक अस्थाई माना जाएगा जब तक कि माननीय न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आता।
4. राजस्थान पशुचिकित्सा एवम् पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी नियम, कानून या शुल्क में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना पूर्व सूचना के कर सकता है।
5. प्रवेश से सबंधित सभी नियमों जो कि किसी माननीय न्यायालय द्वारा प्रवेश के समय या पूर्व पारित हो अभ्यर्थी मानने के लिए बाध्य होगा।
6. राज्य सीटों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रवेश नहीं दिया जाएगा चाहे कोई स्थान रिक्त रह जाए।
7. अगर कोई अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे प्रवेश का इच्छुक नहीं है मानकर उसका प्रवेश स्वतः रद्ध हो जाएगा। आवंटन की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने की विश्वविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। वेबसाईट पर एक बार जारी सूचना अभ्यर्थी तक पहुंची हुई मानी जाएगी।
8. यदि अभ्यर्थी द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा में प्रवेश लेने से पहले किसी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है तो उसे छोड़ देवें। अभ्यर्थी दो पाठ्यक्रमों में एक साथ अध्ययन नहीं कर सकता है। यदि कोई छात्र (यह पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात भी) डिप्लोमा में अध्ययन के कार्यकाल में यदि कोई अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करता पाया गया तो उसका डिप्लोमा से प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि डिप्लोमा में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात भी यदि पाया जाता है कि छात्र ने डिप्लोमा के अध्ययन के साथ अन्य पाठ्यक्रम में भी अध्ययन किया है तो पूर्व में प्रदत्त डिप्लोमा निरस्त कर दिया जायेगा व दूसरे अध्ययनरत पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले विश्वविद्यालय को उक्त पाठ्यक्रम से निष्कासन हेतु निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

अनुच्छेद–1

द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं की सूची एवं पते

जिला /स्थान/कोड	संस्थान का नाम एवं पूर्ण पता
बीकानेर (01)	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, विजय भवन पैलेस, दीन दयाल उपाध्याय चौराहे के पास, बीकानेर
अलवर (02)	चौधरी चरण सिंह पशुपालन महाविद्यालय, ढाई पेडी, जयपुर रोड, रितूम्बरा होटल के पास, अलवर
अलवर (03)	दीन बन्धु शिक्षण संस्थान, बाई पास रोड़, खेरलीगंज, अलवर – 321606
अलवर, नीमराना (04)	सती जाबदे वेटेरनरी कम्पाउड़र प्रशिक्षण संस्थान, गॉव जनक सिंह पुरा, पोस्ट – नीमराना, अलवर
भरतपुर (05)	श्री छोटू राम एल. एस. ए. प्रशिक्षण संस्थान, 1, शांतिनगर, फतेहपुर सिकरी रोड़, भरतपुर – 321001
भरतपुर डीग (06)	श्री संत राम दास त्यागी एल. एस. ए. प्रशिक्षण संस्थान, बुधा गेट, डीग, भरतपुर –321203
बीकानेर (07)	श्री अभय पशुपालन महाविद्यालय, 93, गॉधी नगर, नरेन्द्र भवन पैलेस के पास, बीकानेर – 334001
बीकानेर (08)	श्रीकृष्ण एल. एस. ए. प्रशिक्षण महाविद्यालय, आई. टी. आई. कॉलेज के पीछे, पटेल नगर,बीकानेर – 334001
बीकानेर (09)	मॉ करणी पशुधन सहायक प्रषिक्षण महाविद्यालय, पोस्ट – नाल, बीकानेर
चुरु सादुलपुर (10)	चौधरी पशुपालन महाविद्यालय, सुभाष नगर, भारतीय कॉलोनी,रेल्वे टॉवर के पास,सादुलपुर, जिला–चुरु,पिन 331023
दौसा (11)	स्वामी ललतानन्द पशु पालन विद्यालय, खारी कोठी मोहल्ला, दौसा –303303
दौसा बन्दीकुई (12)	चमन पशुपालन महाविद्यालय, भगत भवन, बदीयाल रोड़, बान्दीकुई, जिला – दौसा
डुंगरपुर (13)	एम. बी. वागड़ पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र, बादल महल रोड़, शास्त्री कॉलोनी, डुंगरपुर 314001
हनुमानगढ़ (14)	स्वामी शिक्षा समिती पशुधन सहायक प्रशिक्षण, महाविद्यालय, विश्नोई धर्मशाला के सामने, राजकीय अस्पताल के पास, हनुमानगढ़ टाउन– 335513
हनुमानगढ़ भादरा (15)	सरदार बल्लभभाई पटेल पशुपालन महाविद्यालय, नोहर –सिरसा बाई पास, पोस्ट – भादरा, जिला हनुमानगढ़
जयपुर (16)	ऐपेक्स प्रबन्धन एवं विज्ञान संस्थान (पशुपालन विभाग),संजय शिक्षा समिति केम्पस, लाल कोठी स्कीम, टोंक रोड़, जयपुर –302015
जयपुर (17)	बी. बी. एम. एस. पशुपालन महाविद्यालय, ए –10, नई रामगढ़ रोड़, जयपुर
जयपुर (18)	लिबर्टी पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, 115, टैगोर पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
जयपुर (19)	राजीव गॉधी मेमोरीयल पशुपालन महाविद्यालय, 254, राजाजी भवन, किर्ती पब्लिक विद्यालय केम्पस, चम्पा नगर, गुजर की थड़ी, नई सांगानेर रोड़, जयपुर
जयपुर (20)	शिवम् पशुपालन महाविद्यालय, पोस्ट : जोबनेर, जिला – जयपुर
जयपुर (21)	सुभाष पशुपालन महाविद्यालय,55, महा लक्ष्मी नगर, गजसिंहपुरा, अजमेर रोड़, जयपुर –303011
जयपुर,बस्सीचक (22)	राजकीय पशुपालन विद्यालय,बस्सी चक, जयपुर
जयपुर चोमू (23)	एम. जे. एफ. वेटेरीनरी विज्ञान संस्थान, रिंगस रोड़, चोमू, जयपुर
जयपुर कानोता (24)	श्री विनायक रिसर्च एवं प्रशिक्षण संस्थान,जी–1 / 231, औद्योगिक क्षेत्र, हिरावाला, कानोता, जयपुर – 303012
जयपुर शाहपुरा (25)	चौधरी चरण सिंह पशुपालन महाविद्यालय,नेशनल हाईवे 8, टांड़ा मिलन होटल के सामने, शाहपुरा, जिला जयपुर
जयपुर सोड़ाला (26)	महात्मा ज्योति राव फूले शिक्षण संस्थान, पशुधन सहायक प्रशिक्षण, राम नगर विस्तार, नई संगानेर रोड़, जयपुर
जयपुर सोड़ाला (27)	सुरेन्द्र पशुपालन महाविद्यालय, 25, गोवरधन कॉलोनी, नया संगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर –3092019
झालावाड़ (28)	संकल्प वेटेरीनरी एवं पशुपालन संस्थान, सुधाकर विला, हरीश चन्द्र सिविल लाइनस, झालावाड़ – 326001
झुंझुनु चिडावा (29)	रूरल एज्यूकेशन डवलपमेंट पशुपालन महाविद्यालय, भूतनाथ रोड, लोहिया स्कूल केम्पस, चिडावा जिला –झुंझुनु
झुंझुनु पिलानी (30)	आदर्श पिलानी पशुपालन महाविद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, राजगढ रोड पिलानी – 333031 जिला झुंझुनु
जोधपुर (31)	राजकीय पशुपालन विद्यालय,पशुधन भवन, रातानाड़ा, जोधपुर
जोधपुर (32)	पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, 7 – शान्ती प्रिय नगर, राज हॉस्पिटल के पास, जोधपुर –342008
जोधपुर (33)	मयूराक्षी षिक्षण एवं विकास संस्थान, 107 कमला नेहरू नगर, मेन चोपासनी रोड, जोधपुर
जोधपुर (34)	श्री एस. एल. जांगू वेटेनरी विज्ञान संस्थान,11/ 939, 11/890, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
जोधपुर (35)	श्री लालबहादूर शास्त्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्स्टीयूट, रोड नम्बर 6, शक्ति नगर, पावटा सी रोड़, जोधपुर
करौली (36)	वीना मेमोरीयल पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालय,कैला देवी रोड़, पडेवा, करौली – 322241
करौली,हिण्डौन सिटी (37)	राजीव गांधी पशुपालन डिप्लोमा महाविद्यालय,बनकी रोड, बयाना सडक के पास, हिण्डौन सिटी, करौली
कोटा (38)	राजकीय पशु पालन विद्यालय, राम तलाई मैदान, मोखापारा, कोटा –324006
कोटा (39)	एम. डी. एम. पशु पालन महाविद्यालय, एमडी मिशन केम्पस, केषवपुरा चौराहा, कोटा
कोटा बारां (40)	पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, मांगरोल रोड़, बारां (कोटा)
कोटा बुन्दी (41)	सर्वोदय पशु पालन विद्यालय, कैनाल रोड़, माटुन्दा, बुन्दी, कोटा
श्री गंगानगर (42)	पशु पालन महाविद्यालय, (मनोहर बाल मंदिर समिति), बेगाराम मार्ग, गली नम्बर 04, सेतीया कॉलोनी, श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर (43)	श्री गंगानगर पशु विज्ञान संस्थान, टांटीया उच्च शिक्षा संस्थान केम्पस, हनुमानगढ़ रोड़, श्री गंगानगर 335002
सीकर (44)	ऐलांयस शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, विश्वकर्मा महाराणा प्रताप होटल के पास, पिपराली रोड, सीकर
सीकर (45)	राजस्थान पशु पालन महाविद्यालय, किसान कॉलोनी, नवलगढ रोड, सीकर –332001
टोंक (46)	देव पशुधन सहायक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मोदी की चौकी, सिविल लाईन, टोंक –304001
उदयपुर (47)	राजकीय पशु पालन विद्यालय, पॉलीक्लिनिक कैम्पस, वेटेरीनरी हॉस्पिटल, चेतक चौराह, उदयपुर
उदयपुर (48)	पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानीया, वल्लभनगर, उदयपुर
जयपुर, मानसरोवर (49)	पशुधन स्वास्थ्य एवम् उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, एस एफ एस, सैक्टर–4, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर – 302020
हनुमानगढ,नोहर (50)	पशुधन अनुसंधान केन्द्र, राजूवास, नोहर, जिला हनुमानगढ
जैसलमेर,चांदन (51)	पशुधन अनुसंधान केन्द्र, राजूवास, चांदन, जिला जैसलमेर

अनुच्छेद 2

<u>प्रतिनिधि अधिकार पत्र</u> (प्रारूप)

(यह अधिकार पत्र प्रवेश के समय यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते है, उस परिस्थिति में उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रवेश हेतू प्रस्तुत किया जायेगा)

मैं.....पुत्र / पुत्री / श्री / श्रीमती / स्व.....

.....यह अधिकार श्री / श्रीमती / डॉ. / .....

..... (प्रतिनिधि नाम) पता..... को देता हूं कि जो संस्थान मुझे पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवंटित किया गया है कि वंहा मेरे स्थान पर .....(दिनांक) को उपस्थित होंगे। वह मेरी जगह सभी आवश्यक दस्तावेज व शुल्क जमा करवाएंगे।

श्री / श्रीमती / डॉ..... (प्रतिनिधि नाम) के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का फोटो जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। यहां वही फोटो चस्पा करे जो आवेदन फार्म पर

उस प्रतिनिधि का फोटो जो अभ्यर्थी की जगह उपस्थित होगा। यह फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है।

राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित

मैं.....(छात्र का नाम) पुत्र / पुत्री श्री.....उम्र..... ...वर्ष.....महीने..... यह अधिकार देता हूं कि प्रस्तुत होने वाला प्रतिनिधि मेरे स्थान पर सभी निर्णय लेगा, श्री / श्रीमती / .....(प्रतिनिधि नाम) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... .....उम्र.....वर्ष है जो कि पशुपालन पाठ्यक्रम के संस्थान आवंटन में प्रवेश संबंधित सभी औपचारिकता मेरे स्थान पर पूरी करेंगे और यह कि जो भी कार्य मेरे प्रतिनिधि करेंगे मैं उसके लिए कटिबद्ध रहूंगा तथा भविष्य में किसी प्रकार का कोई दावा उक्त प्रक्रिया पर नहीं करूंगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान : नाम :–

दिनांक : पता :–